न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 103/2020

GCMS NO. : 2020/00169

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. हेमाराम पुत्र मदरूप
2. पारसमल पुत्र मदरूप

जातियान– मेघवाल,
निवासीगण– सेवरिया,
तहसील– जैतारण, जिला–
पाली राजस्थान।

1. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार, तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:–26.08.2020

उपस्थित:–

1. श्री नितेश चौहान, श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार राज0 तहसीलदार जैतारण।

दिनॉक:–17/04/2023

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1353 / 26 रकवा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है उक्त खसरान् भूमि सम्पूर्ण ही प्रार्थीगण के नाम खातेदारी की है तथा प्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार है अन्य कोई सहखातेदार नहीं है तथा प्रार्थीगण की उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी होने से अपनी समझ से ही काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के काश्त करते चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण के नाम ही राजस्व रेकर्ड दर्ज है अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि के नापचौप एवं सीमाज्ञान करने एवं पत्थरगड्डी करने एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने तथा उसी अनुसार नक्शे में तरमीम करने बाबत अप्रार्थीगण को कई बार निवेदन भी किया तथा राजस्व कैम्प में भी प्रार्थनापत्र पेश किये लेकिन कार्यवाही नहीं हुई तथा दिनांक 16/05/2016 को जरिये बैंक चालान के क्रमांक संख्या 3136/2016 कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जैतारण, पटवारी हल्का सेवरिया को उक्त खसरान् भूमि का माप सीमाज्ञान करने बाबत आदेश जारी हो रखा था जिसकी शुल्क भी राजकोष में जमा करवाई जा चुकी थी जिस पर प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का को पाली से नक्शा सीट भी [illegible] दी गई थी फिर भी रेवेन्यु अधिकारियों ने आज दिन तक उक्त आदेश की पालना नहीं की तथा न ही पटवारी द्वारा उक्त भूमि का नापचौप किया जाकर सीमाज्ञान किया गया [illegible] ही नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:54 IST
Reason: SelfAttested

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

तरमीम किया गया जिसके कारण आए दिन पडौसी प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि की मेडबंदी, तारबंदी आदि बिखेर देते हैं तथा सीमा विवाद करते रहते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना प्रार्थीगण को करना पड़ रहा है तथा पड़ौसी खातेदार इस बात का नाजायज फायदा उठाते हैं एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है जिससे मोके पर विवाद होते हैं एवं पुलिस कार्यवाहीया होती है एवं मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् होती है तो भविष्य में भी सीमाज्ञान की समस्या को लेकर विवाद होने की संभावना है इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अपने खातेदारी कास्तकारी हक अधिकारों एवं भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिकारी होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खसरान भूमि के सीमाज्ञान एवं पड़ौसी खातेदारान की कृषि भूमि के सीमाज्ञान को लेकर विवाद करने को लेकर पूर्व में तहसीलदार जैतारण के समक्ष अपना प्रार्थनापत्र पेश किया जा चुका है, लेकिन न तो आदेश की पालना हुई है न ही मौके पर नापचौप कर पत्थरगड्डी करवाई गई न ही मौका फर्द तैयार कर उस अनुसार नक्शे में तरमीम किया गया ऐसी तमाम परिस्थितियों मे एवं परिस्थितियों के कारण प्रार्थीगण की खसरान् भूमि के सीमा विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाये तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पडे तथा अपने जायज हक अधिकारों से वंचित न होना पड़े इसलिए यह प्रार्थनापत्र वास्ते सीमाज्ञान करवाने एवं पत्थरगड्डी करवाने, तारबन्दी करवाने एवं मांठे कायम करवाने मानचित्र एवं मौके पर काबिज काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार फर्द तैयार कर नक्शे में तरमीम करने एवं उसी आशय का राजस्व रेकर्ड तैयार करने का विरुद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। दिनांक 16.08.2020 को अप्रार्थी एवं पटवारी महोदय से निवेदन करने एवं दिनांक 16.08.2016 को जारी तहरीर की पालना करने बाबत् एवं मौके पर फर्द रिर्पोट तैयार करने का निवेदन करने पर न्यायालय से आदेश करवाने के कथन करने पर बमुकाम सेवरिया तहसील जैतारण के जिला पाली राजस्थान में मौके पर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने मौका, वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है, जो शामिल मिसल किया गया।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 1[illegible]8 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण संख्या [illegible] व 02 की खातेदारी, पैतृक पुश्तैनी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1353/26 रकबा 20 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 14:50:54 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

3.2375 हैक्टेयर) राजस्व मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण में आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान के आदेश के साथ पत्थरगड्डी मेखमबंदी कर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश जारी करावे।

२. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन की कोई कार्यवाही करवाई गई है, साथ ही प्रार्थनापत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1353/26 के भू अभिलेख जमाबन्दी में ''भंवरी पत्नी मनरूप, हेमाराम पुत्र मनरूप तथा पारसमल पुत्र मनरूप'' तीन खातेदारों की सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के पद संख्या में दो में कथन केया है कि ''पड़ोसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि की मेडबंदी एवं तारबंदी आदि बिखेर देते है।'' यहां यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है के जोत की सीमा को लेकर वास्तविक विवाद का विषय क्या है तथा ऐसा विवाद कब उत्पन्न हुआ और किन-किन खातेदारान् के मध्य ऐसा विवाद विद्यमान है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा सभी तथ्य पूर्ण स्पष्टता के साथ न्यायालय हाजा के समक्ष स्पष्ट नहीं किये है तथा ना ही प्रार्थीगण द्वारा पड़ोसी खातेदारान् को हस्तगत वाद में प्रोपर पक्षकार बनाया गया, ऐसी दशा में किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना विधिसंगत नहीं रहेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय अद्य दिनॉक 17/04/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:54 IST
Reason: SelfAttested